Original CD copy at ... 23/6/16

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक–02 / विविध–15 / 2014 परि0 दिनांक–........................

इस विभाग की अधिसूचना संख्या–3442 दिनांक 23.08.2012 द्वारा जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित व्यावसायिक वाहनों का कर भुगतान बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–5 के प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से E-payment की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी।

विभाग द्वारा उपर्युक्त प्रदत सुविधा का विस्तार करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त अन्य राष्टीयकृत बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से SBI Gateway (MOPS) का इस्तेमाल करते हुए व्यावसायिक वाहनों के कर भुगतान की वाहन स्वामियों को सुविधा प्रदान की जाती है। इस हेतु बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।
ह0 / –
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02 / विविध–15 / 2014 परि0 2978 पटना, दिनांक– 23/6/16

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / सचिव, विधि विभाग एवं ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की सीडी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 प्रति परिवहन विभाग को भी उपलब्ध करायी जाए।

23.6.16
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।